

Node: Webberli
15.5.18

कार्यालय प्राचार्य स.ध. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

क्रमांक:- 7949-53

दिनांक:- 10-5-18

कार्यालय आदेश

सत्र 2018-19 में प्रवेश के लिए महाविद्यालय में फीस ढांचा निम्नानुसार रहेगा-

अराजकीय शुल्क

		सामान्य	योग	अनु. जाति/जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग	योग
1	पुस्तकालय/वाचनालय				
	अ. पुस्तकालय कार्ड	10		10	
	ब. पुस्तकालय मुक्त प्रवेश प्रणाली शुल्क	10		10	
	स. वाचनालय	10		10	
	द. पुस्तकालय छात्रनिधि	30		30	
	योग	60	60	60	60
2	सामान्य प्रयोजन शुल्क	100	100	80	80
3	छात्र गतिविधि				
	अ. महाविद्यालय पत्रिका प्रकाशन	30		30	
	ब. टर्मिनल टेस्ट	20		20	
	स. परिषद्	10		10	
	द. योजना मंच	10		10	
	य. पर्यावरण विकास	30		30	
	र. परिचय पत्र	10		10	
	ल. स्काउटिंग	10		10	
	योग	120	120	120	120
4	छात्रसंघ	40	40	40	40
5	क्रीडा शुल्क मय विश्वविद्यालय खेलकूद	130	130	130	130
6	महाविद्यालय विकास शुल्क	100	100	100	100
7	विद्यार्थी बीमा प्रीमियम शुल्क	50	50	50	50
8	विकास समिति शुल्क	100	100	100	100
9	महिला प्रकोष्ठ(छात्राओं हेतु)	20	20	20	20
10	अन्य शुल्क(ऐच्छिक)				
	अ साईकिल स्टेण्ड	50	50	50	50
	ब स्कूटर स्टेण्ड	100	100	100	100
	स कार पार्किंग	150	150	150	150
	य डुप्लीकेट पुस्तकालय कार्ड शुल्क	20	20	20	20
	र डुप्लीकेट परिचय पत्रकार्ड शुल्क	100	100	100	100
	योग	420	420	420	420
कुल योग		1140	1140	1120	1120

क्रीडा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय

क्र.सं.	मद	संशोधित दर
1	दैनिक भत्ता	150
2	दूध	25
3	गणवेश(यूनिफार्म)	350
4	आधा भत्ता	75
5	तांगा भाडा	75
6	प्रति चक्र नाश्ता	20
7	राज्य टीम	800
8	अन्तरविश्वविद्यालय	800

9	राष्ट्रीय टीम शिविर		400
10	राष्ट्रीय टीम प्रतिनिधित्व		400
11	विश्वविद्यालय में प्रथम		250
12	विश्वविद्यालय में द्वितीय		200
13	विश्वविद्यालय में तृतीय		150
14	विश्वविद्यालय विजेता दल		150
15	विश्वविद्यालय उपविजेता दल		150
16	महाविद्यालय स्तर पर प्रथम		125
17	महाविद्यालय स्तर पर द्वितीय		100
18	यात्रा भत्ता	रेलवे या बस का रिययती दर से देय	--

नोट:-


1. महाविद्यालय छोड़ने पर चरित्र प्रमाण-पत्र दो वर्षों में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उसकी प्रमाणित प्रति का उपयोग करना चाहिए।
2. शुल्क में परिवर्तन(वृद्धि या कमी)करने का अधिकार राज्य सरकार/महाविद्यालय प्रशासन के लिए सुरक्षित हैं।
3. आय से तात्पर्य समस्त नियमानुसार कटौतियों के बाद 2017-18 की शुद्ध कर योग्य आय से है। आय में सत्र भर परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
4. आय प्रमाण पत्र राजपत्रित/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
5. जमा कराया शुल्क वापिस नहीं लौटाया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय शुल्क यथा, परीक्षा, प्रवजन, नामांकन आदि विश्वविद्यालय की सूचनाओं के अनुसार देय होगा।

प्राचार्य

स.ध.राज. महाविद्यालय ब्यावर

प्रतिलिपि :-

1. उपाचार्य प्रथम/द्वितीय
2. अकादमिक शाखा
3. केशियर
4. संयोजक प्रवेश समिति


प्राचार्य

स.ध.राज. महाविद्यालय ब्यावर